बीज ग्राम योजना

प्रदेश के समस्त जिलों के चयनित ग्रामों में यह योजना, कृषक स्तर पर उन्नत बीज उत्पादन के प्रति जागरूकता बढ़ाने, प्रशिक्षण तथा अधोसंरचना विकास आदि उद्देश्यों से संचालित की जा रही है। बीज उत्पादन एवं भंडारण तकनीकी हेतु प्रशिक्षण आदि, योजना के प्रमुख घटक हैं।

यह योजना सभी वर्ग के कृषकों हेतु लागू है। जिला कृषि कार्यालय के मार्गदर्शन में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा अपने विकास खंड के चयनित ग्रामों में योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से किया जाता है।

अनुदान– प्रत्येक चयनित कृषक को आधा एकड़ के लिये 50 प्रतिशत अनुदान पर आधार/प्रमाणित बीज प्रदान किया जाता है। योजना तहत प्रशिक्षण में 3 प्रमुख फसल अवस्थाओं : बोनी के समय, फूल अवस्था तथा कटाई के समय कृषकों को प्रशिक्षण दिये जाते हैं।

उन्नत भण्डारण पात्र– बीज भंडारण हेतु 10 क्विंटल भंडार कोठी के लिये **अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कृषकों को** निर्धारित कीमत का 33 प्रतिशत, अधिकतम रू.1500/– तथा 20 क्विंटल भंडार कोठी पर कीमत का 33 प्रतिशत या रू. 3000/– जो भी कम हो, अनुदान का प्रावधान है।

सामान्य कृषकों को 25 प्रतिशत अनुदान– **अ.** 10 क्विंटल कोठी पर अधिकतम रू 1000/– तथा **ब.** 20 क्विंटल कोठी पर अधिकतम रू. 2000/– जो भी कम हो देय होगा।

जैसा बीज बोओगे
वैसी काटोगे फसल

मेक्को मेनेजमेंट योजनाएं
एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (मोटा अनाज)

उद्देश्य – प्रदेश में धान एवं गेहूं, फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना। इसका कार्यक्षेत्र– संपूर्ण मध्यप्रदेश है। इस योजना में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अलावा सामान्य वर्ग के लघु और सीमांत श्रेणी के कृषक पात्र हैं।

हितग्राही चयन प्रकिया – कृषकों का चयन ग्रा. कृ. विस्तार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा किया जाता है।

दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण –

- **बीज वितरण** 10 वर्ष के अंदर अधिसूचित उन्नत किस्मों के मोटा अनाज बीजों पर 50 प्रतिशत या रूपये 500/– प्रति क्विंटल जो भी कम हो, अनुदान दिया जाता है।
- **प्रशिक्षण**

  क. राज्य स्तरीय कार्यशाला के आयोजन के लिये अधिकतम रू. 50,000/– प्रति कार्यशाला।

  ख. विस्तार कार्यकर्ताओं की कार्यशाला के आयोजन के लिये अधिकतम रू.10,000 प्रति कार्यशाला।

  ग. कृषक प्रशिक्षण के लिये अधिकतम रूपये 17,000/– प्रति प्रशिक्षण (30 कृषकों हेतु)। (कृषक पाठशाला द्वारा) प्रावधान है।
- **रासायनिक पौध संरक्षण तथा बायो पेस्टीसाइड्स** 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 500 प्रति हैक्टेयर। जो भी कम हो।
- **सूक्ष्म पोषक तत्व**–50 प्रतिशत अधिकतम रू. 500 प्रति हैक्टेयर। जो भी कम हो।
- **फसल प्रदर्शन – धान प्रदर्शन**

1. **एकल फसल धान** के लिये रू. 2500/– प्रति एकड़ प्रदर्शन
2. **मेडागास्कर धान प्रदर्शन** के लिये रू. 3000/– प्रति एकड़ प्रदर्शन
3. **संकर धान तकनीकी प्रदर्शन** रू. 3000/– प्रति एकड़
4. **गेहूं प्रदर्शन** – रू. 2000/– प्रति एकड़ एकल फसल हेतु
5. **मोटा अनाज–** रू. 2000/– प्रति एकड़ एकल फसल हेतु

सतत गन्ना विकास योजना

उद्देश्य – गन्ना उत्पादन, व उत्पादकता को बढ़ावा देना एवं उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र –

चयनित 26 जिले– भोपाल, सीहोर, बैतूल, राजगढ़, होशंगाबाद, हरदा, मुरैना, श्योपुरकला, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, धार, खरगौन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, नरसिंहपुर, सागर, छिन्दवाड़ा, टीकमगढ़, छतरपुर, सिवनी, रायसेन, बालाघाट और जबलपुर।

पात्र हितग्राही – सभी श्रेणी के कृषक, प्राथमिकता नियमानुसार।

हितग्राही चयन प्रकिया – ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और कृषि विकास अधिकारी द्वारा गन्ना उत्पादक कृषकों का चयन किया जाता है।

कृषक भ्रमण – 40 कृषकों के लिये 50 प्रतिशत अनुदान पर अधिकतम रू. 50,000/– प्रति कृषक भ्रमण।

गन्ना बीज प्रगुणन – उत्पादन लागत का 10 प्रतिशत अथवा रू. 2000 प्रति हैक्टर, जो भी कम हो ।
गन्ना प्रदर्शन – रू. 7500/– प्रति प्रदर्शन (0.5 हैक्टर) अनुदान।
टपक सिंचाई – लागत का 50 प्रतिशत या रू.30,000/– प्रति यूनिट जो भी कम हो ।
गौण तत्व (माइक्रो न्यूट्रिएण्ट्स) – कृषकों को लागत का 25 प्रतिशत या रू. 1000/–जो भी कम हो अनुदान ।
प्लान्टिंग मटेरियल सीड ट्रीटमेंट – कृषकों को लागत का 25 प्रतिशत या रू.1000/– जो भी कम हो अनुदान ।
टिशु कल्चर पौध उत्पादन – प्रति पौधा रू.1.25/– अनुदान।

एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन तथा उर्वरक का संतुलित प्रयोग

उद्देश्य – समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन एवं उर्वरकों के संतुलित व समन्वित उपयोग द्वारा भूमि के स्वास्थ्य को बनाये रखते हुये दीर्घकाल तक टिकाऊ उत्पादन प्राप्त करना। यह सम्पूर्ण राज्य में संचालित है। योजना में समस्त श्रेणी के कृषक पात्रता रखते हैं।

हितग्राही चयन – कृषि स्थायी समिति के अनुमोदन अनुसार।

अनुदान व प्रशिक्षण प्रावधान –

- **हरी खाद बीज वितरण –** लागत का 25% अधिकतम रू.1000/– प्रति हैक्टर, जो भी कम हो।
- **वर्मी कम्पोस्टिंग पिट** – लागत का 25% अधिकतम रू.1000/– प्रति हैक्टर। जो भी कम हो।
- **फार्मर्स फील्ड स्कूल** – विकास खंड स्तर पर 30 कृषकों के लिये फार्मर्स फील्ड स्कूल के माध्यम से उन्नत तकनीकों से अवगत कराना व फसलों से ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके इस हेतु प्रति फार्मर्स फील्ड स्कूल हेतु रूपये रू.17000/– का प्रावधान है।

2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (R.K.V.Y.)

उद्देश्य :– समन्वित पोषक तत्व प्रबन्धन एवं उर्वरकों के संतुलित व समन्वित उपयोग द्वारा भूमि के स्वास्थ्य को बनाये रखते हुए दीर्घकाल तक टिकाऊ उत्पादन प्राप्त करना। इसका क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य है व समस्त श्रेणी के कृषक पात्रता रखते हैं ।

हितग्राही चयन :–कृषि स्थाई समिति के अनुमोदन अनुसार ।

अनुदान व प्रशिक्षण प्रावधानः–

- हरीखाद बीज बितरण :– लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रूपये 2500/–प्रति हेक्टर, जो भी कम हो अनुदान देय है।
- वर्मी कम्पोस्ट पिट :– लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रूपये 1000/–प्रति पिट, जो भी कम हो अनुदान देय है।
- फार्मर फील्ड स्कूल :– विकास खण्ड स्तर पर 30 कृषकों के लिये फार्मर फील्ड स्कूल के माध्यम से उन्नत तकनीकों से अवगत कराना व फसलों से ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके इस हेतु प्रति फार्मर फील्ड स्कूल हेतु रूपये 17000/– का प्रावधान है ।

तीन दिवसीय प्रशिक्षण		**प्रावधान**
1 मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण	:–	क्र.–1 से 2 तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण, विभाग के
2 विभागीय अधिकारियों एवं अ.शासकीय संगठनों मास्टर ट्रेनर्स	:–	मार्गदर्शी निर्देशों में प्रावधान अनुसार राशि रूपये 42,100 प्रति प्रशिक्षण
3. कृषक किसान मित्र/मास्टर ट्रेनर्स	:–	राशि रूपये 27,000 प्रति प्रशिक्षण

दो दिवसीय प्रशिक्षण	प्रावधान
1. गौ–शालाओं के प्रतिनिधियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	दो दिवसीय प्रशिक्षण, राशि रूपये 18,000 प्रति प्रशिक्षण

कार्यशाला / जैविक हाट / मेला	प्रावधान
1. राज्य स्तरीय जैविक हाट	राज्य स्तर जैविक हाट / मेला राशि रूपये 10.00 प्रति राज्य स्तर जैविक हाट / मेला
2. जिला स्तरीय जैविक हाट / कार्यशाला	राज्य स्तर जैविक हाट / मेला राशि रूपये 20000 प्रति जिला स्तरीय जैविक हाट / मेला
3. राज्य बाहर / राज्य के अन्दर कृषक भ्रमण कार्यक्रम :–	जैविक खेती की ओर कृषकों को प्रोत्साहित करने कृषको को कम लागत में फसलों से अधिक लाभ प्राप्त हो, व जैविक खेती नवीन तकनीकि के अवगत कराने हेतु राज्य के बाहर भ्रमण हेतु रूपये 1,80,000 तथा राज्य के अन्दर रूपये 90,000 का प्रावधान है ।

3. राज्य स्तरीय जैविक प्रोत्साहन योजना :–

उद्देश्य :–

- समन्वित पोषक तत्व प्रबन्धन एवं उर्वरकों के संतुलित व समन्वित उपयोग द्वारा भूमि के स्वास्थ्य को बनाये रखते हुए दीर्घकाल तक टिकाऊ उत्पादन प्राप्त करना । इसका क्षेत्र सम्पूर्ण राज्य है व समस्त श्रेणी के कृषक पात्रता रखते हैं ।

राज्य स्तरीय जैविक प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत कृषकों को दी जाने वाली अनुदान सहायता

क्र	घटक	अनुदान सहायता
1	कम्पोस्ट तकनीकि विधियॉ	कम्पोस्टिंग विधियां अपनाने हेतु प्रति कृषक लागत का 50 प्रतिशत या रू. 1000 जो भी कम हो
2	नीलहरित काई वितरण पर अनुदान	नीलहरित काई के मदर कल्चर की कुल कीमत का 50 प्रतिशत या रू. 1000 एक कृषक को अधिकतम 5 है.)
3	हरीखाद बीज वितरण	हरीखाद के बीज की कुल कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 1000 प्रति हेक्टेयर
4	नीलहरित काई उत्पादन इकाई की स्थापना	नीलहरित काई उत्पादन करने हेतु केवल शासकीय संस्थाओं के लिये शासन द्वारा निर्धारित उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन अनुदान देय होगा ।
5	हरीखाद बीज उत्पादन कार्यक्रम	हरीखाद बीज उत्पादन कार्यक्रम में शासन द्वारा निर्धारित बीज उत्पादन प्रक्रिया में अनुदान देय होगा।
6	बायो गैस	बायोगैस योजना के तहत निर्धारित मापदण्ड अनुसार अनुदान राशि देय होगी ।
7	वर्मीकम्पोस्ट	वर्मी कम्पोस्ट निर्माण पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 3000 जो भी कम हो

8	काऊ कम्पोस्ट पिट	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 500 जो भी कम हो
9	जैव कीटनाशक	लागत का 50 प्रतिशत
10	जैव उर्वरक/हार्मोन्स	लागत का 50 प्रतिशत
11	प्रदर्शन	लागत का 50 प्रतिशत
12	कृषक खेत पाठशाला रात्रि कालीन	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत कृषक पाठशाला मापदण्ड अनुसार 17 हजार रूपये प्रावधान होगा ।
13	एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण जिला स्तर पर	एक दिवसीय 30 कृषकों के प्रशिक्षण हेतु रूपये 10000 का प्रावधान
14	दो दिवसीय कृषक प्रशिक्षण संभाग स्तर पर	दो दिवसीय 30 कृषकों के प्रशिक्षण हेतु रूपये 20000 का प्रावधान
15	तीन दिवसीय कृषक प्रशिक्षण राज्य स्तर पर	तीन दिवसीय 30 कृषकों के प्रशिक्षण हेतु रूपये 30000 का प्रावधान
16	कार्यशाला संभागीय स्तर	आत्मा योजना के नार्म्स अनुसार एक दिवसीय कृषकों/अधिकारियों के लिये कार्यशाला हेतु रू. 50 हजार का प्रावधान
17	कार्यशाला राज्य स्तर	आत्मा योजना के नार्म्स अनुसार एक दिवसीय कृषकों/अधिकारियों के लिये कार्यशाला हेतु रू. 3 लाख का प्रावधान
18	जैविक हाट राज्य स्तरीय	जैविक हाट हेतु तीन दिवसीय हाट के लिये रूपये 10 लाख मात्र
19	जैविक हाट संभाग स्तरीय	जैविक हाट हेतु तीन दिवसीय मेले के लिये रूपये 5 लाख मात्र ।
20	भ्रमण राज्य, स्तर	शासन द्वारा निर्धारित कृषक प्रशिक्षण एवं भ्रमण योजना अनुसार
21	प्रशिक्षण	प्रशिक्षण राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर आत्मा योजना में प्रावधान अनुसार

राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास योजना

जलग्रहण क्षेत्र के हितग्राहियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार लाना योजना का मुख्य उद्देश्य है। योजना अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में अनुमानित 500 हैक्टर वर्षा आधारित क्षेत्र के एक–एक माइक्रो जलग्रहण क्षेत्र का चयन किया जाता है। यह योजना भारत सरकार के 90 प्रतिशत तथा राज्य सरकार के 10 प्रतिशत सहयोग से चलाई जा रही है।

योजना में लघु, सीमांत एवं भूमिहीन कृषकों के स्व–सहायता समूहों का गठन कर कृषि एवं ग्रामोद्योग इकाई के लिये भी सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

पानी की बूंद और माटी के कण
मुट्ठी में बांधों आशाओं की किरण

कृषि यंत्रीकरण के अंतर्गत यंत्रों पर अनुदान एवं सुविधाएं

1. मेक्रोमैनेजमेंट – कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन

क्र.	कृषि यंत्र/मशीनरी	अनुदान की दर	रिमार्क
1	ट्रेक्टर	कीमत का 25% अधिकतम रू. 45,000/–	ट्रेक्टर – 40 पी.टी.ओ. हार्सपावर तक
2	पावर टिलर	(अ) कीमत का 40% अधिकतम रू. 45,000/–	पावर टिलर – 8 बी.एच.पी. तथा अधिक क्षमता के
3	स्वचालित मशीनें	कीमत का 25% अधिकतम रू. 40,000/–	स्वचालित रीपर, पैडी ट्रान्सप्लांटर, रीपर बाइंडर एवं अन्य स्वचालित मशीनें
4	विशेष शक्तिचलित उपकरण	(अ) कीमत का 25% अधिकतम रू. 15,000/–	विशेष शक्तिचलित उपकरण जैसे– पोटेटो प्लांटर, पोटेटो डिगर, ग्राउण्डनट डिगर, स्ट्रिप टिल ड्रिल, ट्रेक्टर चलित रीपर, क्लीनर कम ग्रेडर, ड्रायर, स्टबल शेवर, मोबाइल फूट हार्वेस्टर, पावर वीडर, मिनी राईस मिल, दाल मिल, कल्टीपेकर, ओनियन हार्वेस्टर, मोटरीकृत बनाना फाइबर मेकिंग मशीन ।
		(ब) कीमत का 40% अधिकतम रू. 20,000/–	विशेष शक्तिचलित उपकरण जैसे– जीरो–टिल सीड–कम –फर्टिलाईजर ड्रिल, रैज्ड–बेड प्लांटर, शुगरकेन कटर–प्लांटर/रिंग पिट डिगर/पोस्ट–होल डिगर, रोटावेटर, स्ट्रा–रीपर, क्राप रीपर, क्राप बाइन्डर, हैप्पी सीडर, वेजिटेबल ट्रान्सप्लांटर/न्यूमेटिक वेजिटेबल सीडर ।
5	शक्तिचलित उपकरण (ट्रेक्टर/पावर टिलर चलित) पराम्परिक रूप से उपयोग किये जाने वाले ट्रेक्टर एवं पावर चलित यंत्र	(अ) कीमत का 25% अधिकतम रू. 10,000/–	आवश्यक ट्रेक्टर चलित यंत्र जैसे –एम.बी. /डिस्क प्लाऊ, हैरो, कल्टीवेटर, सीड–कम–फर्टिलाईजर ड्रिल ।
		(ब) कीमत का 25% अधिकतम रू. 10,000/–	पावर टिलर चलित यंत्रों के सेट के लिये। उदाहरण : हेरो, कल्टीवेटर एवं सीड–ड्रिल
6	पावर थ्रेशर (सभी प्रकार के)	कीमत का 25% अधिकतम रू. 12,000/–	–
7	पशु शक्ति चलित टूल केरियर	कीमत का 25% अधिकतम रू. 6,000/–	पशु शक्ति चलित विशेष यंत्र जैसे– (अ) मल्टी टूल वार/केरियर/ट्रॉपीकल्टर (कमसे कम 4 अचैटमेन्ट सहित) (ब) प्री–जर्मिनेटेड पैडी सीडर
8	पशु शक्ति चलित यंत्र	कीमत का 25% अधिकतम रू. 2500/–	–

9	**हस्त चलित यंत्र/टूल्स**	कीमत का 25% अधिकतम रू. 2000/–	–
10	**कोनो वीडर**	कीमत का 50% अधिकतम रू. 3,000/–	प्रति कृषक
11	**डीजल/विद्युत पंप सेट**	कीमत का 50% अधिकतम रू. 10,000/–	डीजल/विद्युत पंप सेट–7.5 बी.एच.पी./5 कि. वाट तक के
12	**पौध संरक्षण यंत्र**		
	(अ) हस्त चलित	कीमत का 25% अधिकतम रू. 800/–	–
	(ब) शक्ति चलित	कीमत का 25% अधिकतम रू. 2,000/–	–
	(स) ट्रेक्टर माउन्टेड	कीमत का 25% अधिकतम रू. 4,000/–	–
	(द) एरो ब्लास्ट स्प्रेयर	कीमत का 25% अधिकतम रू. 25,000/–	–
13	**कम्बाईन हार्वेस्टर**	कीमत का 25% अधिकतम रू. 1.50 लाख (इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अधिकांश कम्बाईन हार्वेस्टर (कटर बार 12–14 फीट सहित) जो कृषकों द्वारा उपयोग की जा रही है उसकी कीमत रूपये 7–9 लाख प्रति यूनिट है)	कम्बाईन हार्वेस्टर हेतु वित्तीय सहायता केवल निम्न हेतु है – कृषकों का समूह , पंजीकृत सहकारी संस्थायें, एग्रीकल्चर केडिट सोसायटिज, मल्टी परपज एग्रीकल्चर फार्मिगं सोसायटिज, स्व–सहायता समूह (SHG's), वही समूह सहायता के पात्र होंगे जो किसी NGO के भाग नही हैं । कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा इन्स्टीट्यूशनल फाइनेन्स अन्तर्गत नामांकित कम्बाईन हार्वेस्टर ही इस योजना हेतु पात्र होंगे ।
14	**टॉप–अप अनुदान**		
	(अ) हस्तचलित	(अ) कीमत का 50 प्रतिशत या रू0 4000/– प्रति यंत्र जो भी कम हो।	राज्य शासन द्वारा सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिये
	(ब) बैल चलित	(ब) कीमत का 50 प्रतिशत या रू0 5000/– प्रति यंत्र जो भी कम हो।	राज्य शासन द्वारा सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिये

2. कृषि शक्ति योजना

(अ) कर्मशाला स्थापना हेतु सहायता – आई.टी.आई. प्रशिक्षित आवेदकों को कृषि यंत्र निर्माण एवं सुधार हेतु कर्मशाला स्थापित करने के लिये मशीनों की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 1 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। विस्तृत जानकारी एवं लाभ प्राप्त करने के लिये संभागीय कृषि यंत्री/सहायक कृषि यंत्री कार्यालय से संपर्क करें।

(ब) पावर टिलर के क्रय पर टॉपअप अनुदान – पावरटिलर के क्रय पर मेक्रोमैनेजमेंट योजनांतर्गत देय 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 45000 के अनुदान के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा 25 प्रतिशत अधिकतम रू. 30,000 तक का टॉपअप अनुदान दिया जता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये जिले के उप संचालक कृषि कार्यालय से संपर्क करें।

3. हलधर योजना (राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत) – अनुसूचित जाति/जनजाति के सभी कृषकों तथा सामान्य वर्ग के लघु एवं सीमांत कृषकों को उनकी भूमि की ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 1500 प्रति हेक्टेयर तक का अनुदान दिया जाता है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषक अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि तथा सामान्य जाति के लघु एवं सीमांत कृषक अधिकतम 2 हेक्टेयर की सीमा तक लाभ प्राप्त कर सकते है। गहरी जुताई शासकीय तथा प्रायवेट किसी भी ट्रेक्टर से कराई जा सकती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये ग्राम के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करें।

4. कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन की राज्य योजना –

(अ) शक्ति चलित कृषि यंत्रों पर टॉपअप अनुदान

शासन द्वारा विशेष कृषि क्रियाओं हेतु अथवा कृषकों की विशेष समस्याओं के निराकरण हेतु चिन्हित शक्ति चलित कृषि यंत्रों पर अन्य योजनाओं में उपलब्ध अनुदान के अतिरिक्त निम्नानुसार टॉपअप अनुदान दिया जाता है। रिज फरो अटेचमेंट पर वर्तमान में किसी अन्य योजना में अनुदान उपलब्ध नहीं है अतः इस पर विशेष अनुदान देय होगा। वर्तमान में चयनित शक्तिचलित कृषि यंत्र निम्नानुसार हैं –

क्र.	चिन्हित कृषि क्रियायें	चिन्हित यंत्र	अनुदान का प्रकार	अनुदान सीमा
1	सोयाबीन की बुवाई की रिज फरो पद्धति को प्रोत्साहन	रिज–फरो अटैचमेंट (कृषकों के पास वर्तमान में उपलब्ध सीड ड्रिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल हेतु)	विशेष अनुदान	कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू.2500/–
2	धान कटाई उपरांत गेहूँ की समय पर बुवाई	जीरोटिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू.10000/–
3	फसलों की कतार में बुवाई	सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू.10000/–
4	फसलों की एरोबिक खेती	रेज्ड बेड प्लांटर	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू.20000/–
5	गहरी जुताई कार्य	रिवर्सिबल प्लाऊ, एम.बी. प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू.10000/–
6	फसल कटाई कार्य	रीपर कम बाइंडर	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू.50000/–
7	नरवाई से भूसा प्राप्त करना	स्ट्रा रीपर	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू.50000/–
8	सघन कीट नियंत्रण	एरोब्लास्ट स्प्रेयर	टॉपअप अनुदान	कीमत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू.25000/–

योजना का लाभ लेने के लिये विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या ग्राम के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क करें।

(ब) कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु सहायता –

केन्द्र स्थापित करने के लिये ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्रों की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 10 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। अनुदान बैंक ऋण प्रकरण पर बैक एन्डेड सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। आवेदक को स्नातक होना आवश्यक है तथा कृषि एवं कृषि अभियांत्रिकी स्नातकों को केन्द्र आवंटन में प्राथमिकता दी जाती है। कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने के लिये प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों द्वारा भी उपरोक्त अनुदान प्राप्त किया जा सकता है।

योजनांतर्गत आवेदन आमंत्रित करने के लिये वर्ष के प्रारंभ (अप्रेल से) में विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। विस्तृत जानकारी एवं लाभ प्राप्त करने के लिये क्षेत्र के संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय से संपर्क करें।

5. पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नालॉजी एंड मेनेजमेंट

(अ) पोस्ट हार्वेस्ट यंत्रों/उपकरणों पर अनुदान –

राशि रू. 2 लाख तक के यंत्रों पर कीमत का 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 80,000 तक का अनुदान दिया जाता है। इसके अंतर्गत मल्टीक्रॉप थ्रेशर, स्ट्रॉ रीपर तथा एक्सीयल फ्लो पेडी थ्रेशर सम्मिलित है। लाभ लेने के लिये विकासखण्ड के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी से संपर्क करे।

(ब) पोस्ट हार्वेस्ट यंत्रों/उपकरणों का प्रदर्शन कृषकों के खेतों में किया जाता है तथा कृषकों को पोस्ट हार्वेस्ट संबंधित तकनीकों के विषय में प्रशिक्षण भी दिया जाता है। लाभ प्राप्त करने के लिये क्षेत्र के सहायक कृषि यंत्री कार्यालय से संपर्क करें।

6. कृषि यंत्रीकरण का सुदृढ़ीकरण तथा प्रोत्साहन की केन्द्रीय योजना –

योजनांतर्गत उन्नत कृषि यंत्रों का कृषकों के खेतों पर प्रदर्शन किया जाता है तथा उन्नत कृषि तकनीकों/यंत्रों के रख–रखाव, संचालन, सावधानियों के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है। लाभ प्राप्त करने के लिये क्षेत्र के सहायक कृषि यंत्री कार्यालय से संपर्क करें।

7. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनांतर्गत भी कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। चयनित किये गये कृषि यंत्र एवं अनुदान की सीमा प्रत्येक वर्ष पृथक से निर्धारित की जाती है। अतः योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये कृषि विभाग के ग्राम तथा विकासखण्ड स्तर के कार्यालय से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।

सफल खेती का है मूल मंत्र
अपनाओं किसानों कृषि यंत्र

तिलहन एवं मक्का की एकीकृत योजना (आईसोपाम)

उद्देश्य – केन्द्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में तिलहन तथा मक्का फसलों की उत्पादकता बढ़ाना है । योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सभी श्रेणी के कृषक।

हितग्राही का चयन – ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को प्राप्त आवेदन का ग्रामसभा द्वारा अनुमोदन किये जाने के पश्चात जनपद पंचायत की कृषि समिति से अनुमोदन प्राप्त कर, चयन किया जाता है।

<u>घटकवार अनुदान</u>

बीज

अ. प्रजनक बीज खरीदी–भारत सरकार द्वारा निर्धारित कीमत का 100 **%**

ब. आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन – सोयाबीन फसल पर सामान्य जाति के कृषकों के लिये रू. 700/– प्रति क्विंटल तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कृषकों के लिये रू.200/–अतिरिक्त इस प्रकार कुल रू.900/– प्रति क्विंटल तथा अन्य तिलहन फसलों एवं मक्का पर रू. 1000/– प्रति क्विंटल अनुदान देय है।

स. प्रमाणित बीज वितरण – सोयाबीन को छोड़कर शेष तिलहनी फसलें व मक्का पर रू. 1200/– प्रति क्विंटल अनुदान देय है।

2. **बीज मिनिकिट –** 100 प्रतिशत निशुल्क।

3.पौध संरक्षण –

(अ.) पौध संरक्षण औषधि – वास्तविक कीमत का 50% या अधिकतम रू. 500/– प्रति हैक्टर जो भी कम हो

(ब.) खरपतवार नाशी – वास्तविक कीमत का 50% अथवा रू.500/– प्रति हैक्टर जो भी कम हो।

पौध संरक्षण यंत्र –

- **हस्त चलित यंत्र –** वास्तविक कीमत का 50% अथवा रू. 800/– प्रति यंत्र जो भी कम हो।
- **शक्ति चलित यंत्र –** वास्तविक कीमत का 50% अथवा रू.2000/– प्रति यंत्र जो भी कम हो।
- **जिप्सम / पायराइट / लीमिंग / डोलोमाइट –** वास्तविक कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 750/– प्रति हैक्टर जो भी कम हो।
- **राइजोबियम कल्चर / पी.एस.बी. –** वास्तविक कीमत का 50 प्रतिशत या रू. 100/– प्रति हैक्टर जो भी कम हो।

आई.पी.एम. प्रदर्शन (बायोइन्टेसिव प्रदर्शन) –

- सोयाबीन – रू. 428/– प्रति प्रदर्शन
- मूंगफली – रू. 1627.50/– प्रति प्रदर्शन
- सूरजमुखी – रू. 1230/– प्रति प्रदर्शन
- सरसों – रू. 930/– प्रति प्रदर्शन
- मक्का – रू. 1480/– प्रति प्रदर्शन

ब्लाक प्रदर्शन –

- सोयाबीन – रू. 3000/– प्रति प्रदर्शन
- सरसों – रू. 2000/– प्रति प्रदर्शन
- मक्का – रू. 4000/– प्रति प्रदर्शन

स्प्रिंकलर सेट – वास्तविक कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 7500/– प्रति सेट जो भी कम हो।

पाइप लाइन – वास्तविक कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रू.15000/– प्रति सेट जो भी कम हो।

हस्त चलित/बैल चलित कृषि यंत्र – वास्तविक कीमत का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 15000/– प्रति सेट जो भी कम हो।

टॉपअप अनुदान –

(अ) स्प्रिंकलर **(ब)** रेनगन

राज्य शासन द्वारा सभी वर्ग के हितग्राहियों के लिये टाप अप अनुदान विशेष सहायता के रूप में दिया जा रहा है। यह वास्तविक अनुदान के अतिरिक्त है। स्प्रिंकलर सेट पर 30 % या अधिकतम रू. 4500/– प्रति सेट तथा रेन गन पर 30% अथवा रू. 3600/– प्रति सेट जो भी कम हो अनुदान देय है।

खेत पानी और बाजार
पहचाने, वही समझदार

सघन कपास विकास कार्यक्रम
(कपास प्रौद्योगिकी मिशन का मिनी मिशन –2)

योजना का प्रकार – यह एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है जो 75:25 केन्द्रांश व राज्यांश से संचालित है। इसका उद्देश्य कपास के उत्पादन, उत्पादकता तथा रेशे की गुणवत्ता में वृद्धि करना।

कार्यक्षेत्र – प्रदेश के 14 कपास उत्पादक जिलों – धार, खण्डवा, हरदा बुरहानपुर, खरगोन, झाबुआ, रतलाम, मन्दसौर, बैतूल, सीहोर, छिन्दवाड़ा, बड़वानी, देवास और अलीराजपुर ।

पात्र हितग्राही –

- सभी वर्गों के कृषक योजना के लिये पात्र हैं किन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु–सीमांत एवं महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है। हितग्राहियों की सूची का अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि स्थायी समिति से प्राप्त किया जायेगा।पूर्व वर्षों में लाभान्वित कृषकों को पुनः लाभान्वित नहीं किया जा सकेगा।

योजना का लाभ कैसे लें – कपास उत्पादक कृषक क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से योजना में प्रावधानित घटक हेतु आवेदन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को प्रस्तुत करते हैं। कृषकों को येाजना का लाभ ''प्रथम आवे– प्रथम पावे '' के क्रम से देय होता है।

कार्यक्रम के घटक –

- **प्रौद्योगिकी पर अग्र पंक्ति प्रदर्शन(संस्थागत) –** कपास उत्पादन की प्रौद्योगिकी के अग्रपंक्ति प्रदर्शन हेतु राशि रू. 2000/– प्रति एकड़/प्रदर्शन।
- **ड्रिप (टपक) सिंचाई –** इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 25,000/– प्रति हैक्टर तथा जल ग्रहण क्षेत्रों में कीमत का 60 प्रतिशत, अधिकतम रू. 30,000/– प्रति हैक्टर सहायता । इसके अतिरिक्त राज्य शासन की ओर से टाप अप अनुदान 30 प्रतिशत अधिकतम रू. 15000/– प्रति हैक्टर।
- **कृषक खेत पाठशाला –** 30 कृषकों की कृषक खेत पाठशाला में रू.17,000/– प्रति पाठशाला।
- **फेरोमेन ट्रेप** – निर्धारित लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रू.300/– प्रति हैक्टर।
- **बायो एजेन्ट/बायोपेस्टीसाइड –** निर्धारित कीमत का 30 प्रतिशत, अधिकतम रू.900/– प्रति हैक्टर।
- **प्रशिक्षण** –

  राज्य स्तरीय प्रसार कार्यकर्ता प्रशिक्षण – 30 प्रसार कार्यकर्ताओं के 2 दिवसीय प्रशिक्षण के लिये रू. 15,000/–

किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

भारत सरकार द्वारा शत प्रतिशत केंद्र पोषित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक बहुआयामी योजना है। धान, गेहूं और दलहन फसलों के क्षेत्र विस्तार उत्पादकता एवं उत्पादन वृद्धि के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन उन क्षेत्रों में संचालित है जहॉ इन फसलों की उत्पादकता कम है। योजना का उद्देश्य सतत रूप से तकनीकी का विस्तार कर कृषि उपज में वृद्धि करना और कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारना है। योजना के तीनों घटकों के अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाएं निम्न हैं –

धान घटक

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत धान विकास कार्यक्रम प्रदेश के 9 जिलों में चलाया जा रहा है। चयनित जिले – दमोह, पन्ना, रीवा, सतना, शहडोल अनूपपुर, डिंडौरी, कटनी, और मंडला हैं।

प्रदर्शनों पर अनुदान–

1. समूह प्रदर्शन – 1 हैक्टर क्षेत्र पर रू.7500 प्रति हैक्टर।

2. संकर धान बीज को बढ़ावा देने के लिये सहायता

संकर धान बीज के वितरण हेतु सहायता –रू. 2000/– प्रति क्विंटल या लागत का 50 %, इसमें से जो भी कम हो।

3. **विपुल उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज के वितरण हेतु सहायता** – रू. 500/– प्रति क्विं. की दर से या लागत का 50%, इसमें जो भी कम हो।

4. **सूक्ष्म पोषक तत्वों (कमी वाली मृदा हेतु) के लिये प्रोत्साहन –** रू. 500/– प्रति हैक्टर की दर से या लागत का 50%, इसमें जो भी कम हो।

5. कोनोवीडर और अन्य कृषि उपकरणों हेतु प्रोत्साहन – रू. 3000 प्रति मशीन की दर से या लागत का 50 % इसमें जो भी कम हो।

6. **कृषि यंत्रों हेतु प्रति यंत्र सहायता –**

- **नेपसेक स्प्रेयर** रू.3000 या कीमत का 50 %, जो भी कम हो।
- **रोटावेटर** रू. 30,000 या कीमत का 50 %, जो भी कम हो।
- **जीरो टिल सीड ड्रिल** रू.15,000 या कीमत का 50 %, जो भी कम हो।
- **सीडड्रिल** रू. 15,000 या कीमत का 50 %, जो भी कम हो।
- **डीजल विद्युत पंप सेट** रू. 10,000 प्रति पंप सेट (10 हार्सपावर तक) या कीमत का 50 %, जो भी कम हो।

7. पौध संरक्षण रसायनों और जैव कीटनाशकों के लिये सहायता –रू. 500 प्रति हैक्टर की दर से या लागत का 50 % इसमें जो भी कम हो।

8. कृषक प्रशिक्षण –

फसल पद्धति आधारित पर किसानों का प्रशिक्षण –रू.14000/–प्रति प्रशिक्षण (प्रति वर्ष 30 किसानों के लिये 4 प्रशिक्षण सत्र)

9. **पाईप लाइन पर सहायता –** 50 प्रतिशत या रूपये 15,000/– प्रति सेट, जो भी कम हो।

गेहूं घटक

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत गेहूं फसल के लिये योजना का क्षेत्र विस्तार प्रदेश के 30 चयनित जिले–रायसेन, विदिशा, राजगढ़, बैतूल, हरदा, सीहोर, इंदौर, खंडवा, धार, झाबुआ, उज्जैन, देवास, गुना, शिवपुरी, भिण्ड, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, रीवा, सतना, शहडौल, सीधी, डिंडौरी, कटनी, मंडला, जबलपुर, सिवनी और बालाघाट हैं।

अनुदान वितरण –

- **डी.एस.आर. पद्धति पैकेज का समूह प्रदर्शन** 1 हैक्टेयर क्षेत्र प्रति प्रदर्शन रू. 12,500 प्रति हैक्टर (धान रूपये 7500/– + गेहूं रूपये 5000/– प्रति हैक्टयर अुनदान)
- प्रमाणित बीज वितरण – रू. 500 प्रति क्विंटल अथवा लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान।
- **सूक्ष्म पोषक तत्व/जिप्सम/पौध संरक्षण रसायन** रू.500/–प्रति हैक्टर या लागत का 50%, अनुदान।
- **जीरो टिलेज सीड ड्रिल** लागत का 50 %, अथवा रू. 15,000/– प्रति यंत्र जो भी कम हो।
- **रोटावेटर** लागत का 50%, अथवा रू. 30,000/– प्रति यंत्र जो भी कम हो।
- **रिज फरो प्लांटर** रू. 15,000/– प्रति यंत्र या कीमत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
- **लेजर लेण्ड लेवलर** रू. 1,50,000/– प्रति यंत्र या कीमत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
- **मल्टीक्राप प्लांटर** रू.15,000/– प्रति यंत्र या कीमत का 50 %, जो भी कम हो।
- **नेपसेक स्प्रेयर** रू.3000/– प्रति स्प्रेयर या कीमत का 50 %, जो भी कम हो।
- **सीड ड्रिल** रू.15,000/– प्रति यंत्र या कीमत का 50 %, जो भी कम हो।
- **स्प्रिंकलर सेट** रू.7500/– प्रति हैक्टर या कीमत का 50 %, जो भी कम हो।
- **डीजल पंपसेटों के लिये प्रोत्साहन (10 हार्स पावर तक)** लागत का 50% अथवा रू. 10,000/– जो भी कम हो।
- **पाइप लाइन –** 50 प्रतिशत या रूपये 15,000/– जो भी कम हो।
- **फसल पद्धति आधारित किसानों का प्रशिक्षण –**रू.14000/–प्रति प्रशिक्षण (प्रति वर्ष 30 किसानों के लिये 4 प्रशिक्षण सत्र)

दलहन घटक

यह कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जिलों में दलहनी फसलों के क्षेत्र विस्तार के साथ उत्पादन तथा उत्पादकता वृद्धि के लिये चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत अनुदान सहायताओं का विवरण इस प्रकार है–

1. बीज

- **प्रमाणित बीजों के वितरण पर सहायता** – 10 वर्ष से कम प्रजाति रू. 22/– प्रति किलो तथा 10 वर्ष से अधिक प्रजाति पर रू.12/– प्रति किलो बीज।

2. समूह प्रदर्शन – 1 हेक्टर प्रदर्शन हेतु रूपये 5000/– सहायता।

3. **समेकित पोषक तत्व प्रबंधन** – सूक्ष्म पोषक तत्व 50%, या रू. 500/– प्रति हैक्टर जो भी कम हो। अधिकतम रू. 750/– चूना एवं जिप्सम के लिये तथा कलचर रू.100/– प्रति हैक्टर।

4. **समेकित कीट प्रबंधन (आईपीएम)**– 50%, या रू. 750/– प्रति हैक्टर जो भी कम हो।

5. **पौध संरक्षण औषधि** – 50 %,या रू. 500/– प्रति हैक्टर जो भी कम हो।

6. **नींदा नाशक** – 50%, या रू. 500/– प्रति हैक्टर जो भी कम हो।

7. **स्प्रिंकलर सेट का वितरण** सभी श्रेणी के कृषकों को 50 %, या रू. 7500/– प्रति हैक्टर जो भी कम हो।

8. **नेपसेक स्प्रेयर** रू. 3000/– या कीमत का 50 %, जो भी कम हो।

9. **सीड ड्रिल** रू.15,000/–या कीमत का 50 %, जो भी कम हो।

10. **रोटावेटर** लागत का 50% अथवा रू. 30,000/– जो भी कम हो

11. **जीरो टिलेज सीड ड्रिल** लागत का 50 %, अथवा रू. 15,000/– जो भी कम हो।

12. **मोबाइल स्प्रिंकलर रेन गन** – लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 15,000/– जो भी कम हो।

13. **डीजल पंप सेटों के लिये प्रोत्साहन (10 हार्सपावर तक)**– 50%, अथवा रू. 10,000/– जो भी कम हो।

14. **पाइप लाइन** – 50%, अथवा रू.15000/– प्रति सेट जो भी कम हो।

15. **फसल पद्धति आधारित किसानों का प्रशिक्षण** –रू.14000/–प्रति प्रशिक्षण (प्रति वर्ष 30 किसानों के लिये 4 प्रशिक्षण सत्र)

राखासुमि की मदद से

दलहन का बढ़ता उत्पादन लाभ की खेती सुखमय जीवन

दलहन विकास ए–3 पी योजना

उद्देश्य–दलहनी फसलों में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, एकीकृत पौध संरक्षण प्रबंधन तथा उत्पादन तकनीक पर केन्द्रित ब्लाक प्रदर्शनों के माध्यम से किसानों को दलहनी फसलों की उत्पादकता और उत्पादन वृद्धि के प्रयोग अपनाने के लिये प्रेरित करना।

बीज मिनिकिट–0.2 हैक्टर क्षेत्र के लिये अरहर, मूंग, उड़द के 4 कि. ग्रा., मसूर 8 कि.ग्रा. एवं चना–16 कि.ग्रा. प्रति हैक्टर निःशुल्क बीज दिया जाता है।

जिप्सम – 250 कि.ग्रा. प्रति हैक्टर निःशुल्क वितरण।

माइक्रो न्यूट्रियेंट– सूक्ष्म पोषक तत्व (जिंक सल्फेट, बोरेक्स, फेरस सल्फेट, माइक्रो न्यूट्रियेंट मिक्सचर) 25 कि.ग्रा. निःशुल्क वितरण।

राइजोबियम/पी.एस.बी. कल्चर–प्रत्येक कल्चर के 200 ग्रा. के 3–3 पैकेट निःशुल्क वितरण।

यूरिया का फोलियर छिड़काव –10 कि.ग्रा. यूरिया छिड़काव हेतु निःशुल्क वितरण।

बीजोपचार – थाइरम 2 ग्राम, 1ग्राम कारबेन्डाजिम प्रति किलोग्राम बीज के साथ उपचार।

कीटनाशक/फफूंदनाशक/बायो एजेन्ट एवं जैविक कीटनाशक– आवश्यकतानुसार रसायन, कीटनाशक फफूंदनाशक बायोएजेन्ट एवं जैविक कीटनाशक/फेरोमेनट्रेप एवं ल्यूर (आई.पी.एम.) की अनुशंसा अनुसार।

नींदानाशक – 2.5 लीटर प्रति हैक्टर निःशुल्क वितरण।

ई–पेस्ट सर्वेलेंस – अरहर, मूंग, उड़द, चना एवं मसूर फसलों के लिये ई–पेस्ट सर्वेलेंस कार्यक्रम लागू किया गया है।

विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा)

भारत सरकार द्वारा 90 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत अंश की सहायता से संचालित विस्तार सुधार कार्यक्रम (आत्मा) के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में नवीन तकनीकी हस्तांतरण द्वारा एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम को गति देने हेतु विभिन्न गतिविधियों का समावेश किया गया है। योजना का कार्यक्षेत्र प्रदेश के समस्त जिले हैं।

योजनान्तर्गत मुख्य रूप से राज्य के बाहर, राज्य के अंदर एवं जिले के अंदर कृषक प्रशिक्षण एवं भ्रमण, समूहो का क्षमता विकास प्रशिक्षण प्रदर्शन कृषक संगोष्ठी कृषि विज्ञान मेले फार्म स्कूल गतिविधियों का संचालन किया जाता है। कृषक समूहों जैसे – कृषक रूचि समूह, महिला समूह, किसान संगठन, जिन्स आधारित समूह, कृषक सहकारी संगठन आदि का गठन भी किया जाता है।

योजना में उत्कृष्ट कृषि समूहों एवं कृषकों को पुरस्कृत करना, किसान – वैज्ञानिक – विस्तार कार्यकर्ता जिला स्तरीय चर्चा, प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन, खंड स्तरीय सूचना एवं सलाह केंद्र की स्थापना आदि के माध्यम से नवीन तकनीकी का प्रचार–प्रसार तथा हस्तांतरण किया जाता है।

पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के द्वारा – फार्म स्कूल प्रदर्शन, कृषक भ्रमण, कृषक प्रशिक्षण तथा समूहो का क्षमता विकास आदि विस्तार कार्य भी योजना में सम्मिलित हैं।

'आत्मा' अंतर्गत कृषक मित्रों का चयन सभी 50 जिलों में किया जाकर, कृषक मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रशिक्षण पश्चात कृषक मित्रों को विस्तार कार्य हेतु विभाग व कृषकों के बीच कड़ी के रूप में उपयोग किया जायेगा।

अन्नपूर्णा योजना

कार्यक्रम का क्षेत्र – सम्पूर्ण मध्यप्रदेश।

उद्देश्य – अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषक जो विपुल उत्पादन देने वाली खाद्यान्न फसलों की उन्नत किस्मों के बीज क्रय करने मे असमर्थ होते हैं, ऐसे कृषकों को उन्नत बीज उपलब्ध कराना जिससे उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके।

बीज अदला–बदली – कृषक द्वारा दिये गये अलाभकारी फसलों के बीज के बदले 1 हैक्टर की सीमा तक खाद्यान्न फसलों के उन्नत एवं संकर बीज प्रदाय किये जाते हैं। प्रदाय बीज पर 75 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम रू. 1500/– की पात्रता होती है। कृषक के पास बीज उपलब्ध नहीं होने पर प्रदाय बीज की 25 प्रतिशत नगद राशि कृषक को देनी होती है।

बीज स्वावलम्बन – कृषकों की धारित कृषि भूमि के 1/10 क्षेत्र के लिये आधार/प्रमाणित बीज, 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय।

बीज उत्पादन – शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों की 10 किलोमीटर की परिधि में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों के खेतों पर कम से कम आधा एकड़ क्षेत्र में बीज उत्पादन कार्यक्रम लिये जाते हैं। कृषकों को आधार /प्रमाणित –1 श्रेणी का बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाता है। अधिकतम 1 हैक्टर तक अनुदान की पात्रता होती है। पंजीयन हेतु प्रमाणीकरण संस्था को देय राशि का भुगतान योजना मद से किया जाता है। उत्पादित प्रमाणित बीज, आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों को निर्धारित कीमत पर वितरण किया जाता है।

सूरजधारा योजना

कार्यक्रम का क्षेत्र – सम्पूर्ण मध्यप्रदेश

उद्देश्य – अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को अलाभकारी फसलों/किस्मों के स्थान पर लाभकारी दलहनी/तिलहनी फसलों के उन्नत एवं विपुल उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज उपलब्ध कराना है।

बीज अदला बदली – कृषकों द्वारा दिये गये अलाभकारी बीज के बदले में लाभकारी दलहनी/तिलहनी फसलों के उन्नत बीज 1 हैक्टर की सीमा तक प्रदाय किये जाते हैं। कृषकों द्वारा दिये गये बीज के बराबर उसी फसल का उन्नत बीज (1 हैक्टर सीमा तक) प्रदाय किया जावेगा। अन्य फसल का बीज चाहने पर, प्रमाणित बीज की वास्तविक कीमत का 25 प्रतिशत मूल्य का बीज अथवा नगद राशि कृषक को देनी होगी।

बीज स्वावलम्बन – कृषक की धारित कृषि भूमि के 1/10 क्षेत्र के लिये आधार/ प्रमाणित बीज, 75 प्रतिशत अनुदान पर दिया जावेगा।

बीज उत्पादन – तिलहनी/दलहनी फसलों के उन्नत किस्मों के बीज उत्पादन के लिये शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों के 10 किलोमीटर की परिधि में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों के खेतों पर कम से कम आधा एकड़ क्षेत्र में बीज कार्यक्रम लिया जाएगा। कृषक को आधार / प्रमाणित –1 श्रेणी का बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर 1 हैक्टर तक के लिये प्रदाय किया जाएगा। पंजीयन हेतु प्रमाणीकरण संस्था को देय राशि का भुगतान योजना मद से किया जावेगा। उत्पादित प्रमाणित बीज का आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कृषकों को निर्धारित कीमत पर वितरण किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश कृषि में महिलाओं की भागीदारी योजना (मापवा)

उद्देश्य – महिला कृषकों को प्रशिक्षण के माध्यम से कम लागत की कृषि तकनीकी चुनने, उसे समझने एवं अपनाने योग्य बनाने के लिये योजनान्तर्गत प्रावधान हैं। जिससे कि महिला कृषकों के जीवन स्तर में सुधार हो तथा उनमें निर्णय क्षमता का विकास हो सके। यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित है।

योजना का स्वरूप – महिलाओं के लिये बैंच मार्क सर्वे, तकनीकी प्रशिक्षण, स्व सहायता समूह गठन प्रशिक्षण विशेष प्रशिक्षण एवं अंतर्जिला अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। सभी वर्ग की महिला कृषक इस हेतु पात्र हैं।

हितग्राही चयन की प्रकिया – एक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी क्षेत्र के 2 से 4 ग्रामों में से प्रशिक्षण के लिये 25 कृषक महिलाओं का चयन कृषि योग्य भूमि, सिंचाईं के साधन, पशुधन आदि सूचकों को आधार मानकर लघु सीमांत परिवारों की 50 महिला कृषकों का सर्वे करके किया जाता है ।

योजना का क्रियान्वयन – योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये जिले के उप संचालक कृषि कार्यालय में पदस्थ एक सहायक संचालक कृषि को नोडल अधिकारी (मापवा) नामांकित किया गया है।

नलकूप खनन (लघु सिंचाईं)

अ. नलकूप खनन (राज्य पोषित योजना) – अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के लिये सफल/असफल नलकूप खनन पर लागत का 75%, अधिकतम रू. 25,000–/ जो भी कम हो अनुदान देय है। सफल नलकूप पर पंप स्थापना हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के लिये लागत का 75%, अधिकतम रू.15000/– जो भी कम हो अनुदान देय है। यह सम्पूर्ण प्रदेश में लागू है। पूर्व में इस योजना में नलकूप खनन तथा पंप स्थापना पर कुल अधिकतम अनुदान रू. 25,000 ही था।

राज्य माइक्रोइरीगेशन मिशन योजना

कार्यक्रम का क्षेत्र – संपूर्ण मध्यप्रदेश।
उद्देश्य – प्रदेश के किसानों की फसल उत्पादकता तथा आय को बढ़ाना।
योजना पर अनुदान –

- **स्प्रिंकलर** – समस्त वर्ग के कृषकों को लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम राशि रू.12000/– प्रति हैक्टर जो भी कम हो अनुदान देय है।
- **ड्रिप सिंचाई यूनिट** – समस्त वर्ग के कृषकों को लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम राशि रू.40,000/– प्रति हैक्टर जो भी कम हो अनुदान देय है।
- **मोबाइल स्प्रिंकलर रेनगन –** समस्त वर्ग के कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रू.15,000/– प्रति रेनगन, जो भी कम हो अनुदान देय है।
- **आकस्मिक व्यय –** प्रचार–प्रसार हेतु साहित्य वितरण तथा अन्य आवश्यक कार्यों में व्यय किया जावे।

बलराम ताल योजना

बलराम ताल निर्माण का उद्देश्य सतही तथा भूमिगत जल की उपलब्धता को समृद्ध करना है। ये तालाब किसानों द्वारा स्वयं के खेतों पर बनाये जाते हैं, इनसे फसलों में जीवन रक्षक सिंचाई तो की ही जा सकती है किन्तु भू जल संवर्धन तथा समीप के कुओं और नलकूपों को चार्ज करने के लिये भी ये अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। योजना सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में संचालित है जिसमें सभी वर्ग के पात्र किसानों को ताल निर्माण के लिये अनुदान दिया जाता है। योजना का लाभ चयनित कृषक केवल एक बार ही ले सकते हैं। इच्छुक कृषकों द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को ताल बनाने हेतु दिये गये आवेदन के आधार पर उनका पंजीयन किया जाता है। ताल की तकनीकी स्वीकृति जिले के उप संचालक कृषि तथा प्रशासनिक स्वीकृति जिला पंचायत द्वारा प्रदाय की जाती है। अनुदान हेतु ताल निर्माण होने पर 'प्रथम आये–प्रथम पाये' के आधार पर वरीयता दी जाती है। बलराम ताल के निर्माण कार्य की प्रगति एवं मूल्यांकन के आधार पर पात्रता अनुसार निम्न अनुदान देने का प्रावधान है :–

अनुदान–

- सामान्य वर्ग के कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 80,000/–
- लघु सीमांत कृषकों के लिये लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रू. 80,000/–
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू. 1,00,000/–

खेत की मिट्टी, खेत का जल
खेत से बाहर न जाए निकल

मिट्टी परीक्षण कार्यक्रम

उद्देश्य – तत्वों की मृदा में उपस्थित मात्रा की जांच मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा उपयुक्त अनुशंसायें कृषकों को प्रेषित की जाती है। समस्त प्रदेश में लागू है।

मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसका प्रभाव फसल उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। विभाग के अंतर्गत 24 मिट्टी परीक्षण प्रयोग शालाएं, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंतर्गत 26, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 09 एवं राजमाता कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा 16 प्रयोगशालाएं चलाई जा रही हैं। इस प्रकार प्रदेश के सभी जिलों में कुल 75 प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं, जिनमें से विभागीय समस्त प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म तत्वों के परीक्षण की भी व्यवस्था है

प्रयोगशालाओं में मुख्य तत्व नत्रजन, स्फुर, पोटाश, सूक्ष्म तत्व जिंक, कापर, मैंगनीज एवं आयरन तत्वों के विश्लेषण मृदा की अम्लता एवं क्षारीयता तथा विद्युत चालकता ज्ञात करने की सुविधा है।

निर्धारित शुल्क – मुख्य तत्व विश्लेषण हेतु सामान्य कृषकों के लिये 5 रूपये प्रति नमूना, तथा अ.जा./अ. ज. जा. कृषकों के लिये 3 रूपये प्रति नमूना की दर शासन द्वारा निर्धारित की गई है।

इसी प्रकार सूक्ष्म तत्व विश्लेषण के लिये सामान्य कृषकों के लिये 40 रूपये प्रति नमूना तथा अ. जा./अ.ज.जा. कृषकों के लिये 30 रूपये प्रति नमूना की दर शासन द्वारा निर्धारित है।

विशेष कार्यक्रम – प्रत्येक कृषक को मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी उपलब्ध कराया जाता है जिसमें कृषक द्वारा मिट्टी परीक्षण हेतु समय–समय पर प्रस्तुत मिट्टी नमूनों के विशलेषण की जानकारी उपलब्ध रहती है।

कार्यरत प्रयोगशालाएं – (विभागीय मिट्टी परीक्षण केंद्र)– भोपाल, सीहोर, पवारखेड़ा जिला होशंगाबाद, उज्जैन, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, झाबुआ, इंदौर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, छतरपुर, सागर, रीवा, मुरैना, भिंड, बैतूल, दमोह, जबलपुर, टीकमगढ़, ग्वालियर, सीधी।

कृषि जलवायु क्षेत्र हेतु पायलेट परियोजना

राज्य शासन द्वारा प्रदेश की क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान करने की दिशा में अभूतपूर्व निर्णय लेकर 12 वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्रीय जलवायु क्षेत्र हेतु पायलेट परियोजना (नवीन योजना) प्रारंभ की जा रही है। योजना के अंतर्गत समस्याओं को क्षेत्रवार चिन्हित कर उनका समाधान कर प्रदेश की कृषि उत्पादकता में वृद्वि करने कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने कृषि की सर्वोत्तम विधियों को सघनता से अपना कर निर्भरता को प्राप्त करना है। पायलेट क्षेत्र में समन्वित रूप से योजनाओं का अभिसरण होने से कृषकों को विभिन्न योजनाओं का समेकित लाभ अच्छे रूप में मिल सकेगा, तथा आत्म निर्भरता को प्रोत्साहित मिलेगा।

कार्यक्षेत्र – फसलों के आधार पर परियोजना का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार है :–

- एस.आर.आई. पद्धति में धान की उत्पादकता में वृद्धि हेतु 11 जिले सिंगरौली, उमरिया, सीधी, जबलपुर, सिवनी, श्योपुर, भिंड, ग्वालियर, बालाघाट, एवं छतरपुर चयनित हैं। जिसमें प्रति प्रदर्शन हेतु अनुदान रू.3000/– देय है।
- रिज एवं फरो एंड रेज्ड बैड प्लांटिंग पद्धति से सोयाबीन फसल बोआई हेतु प्रतियंत्र अनुदान 50 प्रतिशत या 2500 रू. अधिकतम अनुदान देय होगा। यह योजना प्रदेश के 26 सोयाबीन उत्पादक जिलों हेतु चयनित है।
- हाईब्रिड मक्का बीज हेतु प्रदेश के 4 जिले झाबुआ, छिंदवाड़ा, बैतूल एवं अलीराजपुर परियोजना अंतर्गत चयनित है। जिसमें हाईब्रिड मक्का बीजो हेतु कीमत का 90 प्रतिशत या 500 रू. प्रति एकड़ जो भी कम हो अनुदान देय होगा।

कृषि बीमा योजनायें

अ. राष्ट्रीय कृषि बीमा येाजना –

कार्यक्रम का क्षेत्र – सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में वर्ष 1999–2000 से भारत सरकार के मार्गदर्शन में क्रियान्वित।

अधिसूचित फसलें – खरीफ–धान (सिंचित/असिंचित), ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदों, कुटकी, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, कपास और केला।

रबी–गेहूं (सिंचित/असिंचित), चना, राई, सरसों, अलसी, प्याज, एवं आलू।

बीमा हेतु पात्र कृषक – सभी अधिसूचित फसलों के लिये संस्थागत ऋण लेने वाले कृषकों को योजना में शामिल होना अनिवार्य है। अऋणी कृषकों के लिये यह योजना स्वैच्छिक है।

दावा आकलन की इकाई – वर्ष खरीफ 2006 से चुनी गई प्रमुख 4 फसलें धान सिंचित, धान असिचिंत, सोयाबीन एवं तुअर, खरीफ वर्ष 2007 से बाजरा, मक्का फसल भी शामिल की गई है। जिनकी दावा निर्धारण इकाई पटवारी हल्का की गई है।

शेष फसलों जैसे कोदो, कुटकी, तिल, ज्वार, मूंगफली, कपास और केला के लिये निर्धारित इकाई तहसील को रखा गया है।

वर्ष **रबी 2006–07** से चुनी गई 4 प्रमुख फसलें गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, चना, एवं राई–सरसों के दावा निर्धारण की इकाई पटवारी हल्का की गई है। शेष फसलें जैसे अलसी, प्याज एवं आलू के लिये तहसील इकाई ही यथावत है।

(ब) मौसम आधारित (पायलट) फसल बीमा योजना – रबी 2007–08 से कियान्वित है। योजनान्तर्गत कम वर्षा, अधिक वर्षा, सूखे के दिन, कम तापमान एवं अधिक तापमान के आधार पर दावों का भुगतान किया जाता है।

(स) संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा (पायलट) – यह योजना रबी 2010–11 से पायलेट आधार पर अधिसूचित जिलों की अधिसूचित फसल हेतु क्रियान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत किसी भी कारण से बुवाई न होने पर बीमित राशि का 25 प्रतिशत राशि कृषक को भुगतान किये जाने का प्रावधान हैं। बोई गयी फसल का नुकसान होने पर दावे का भुगतान राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनानुसार किया जाता है।

इन योजनाओं हेतु जिलों एवं फसल की अधिसूचना राज्य शासन द्वारा प्रत्येक मौसम हेतु अलग–अलग जारी की जाती है।

राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम

संयंत्र निर्माण पर अनुदान –

समस्त प्रदेश में केंद्र शासन द्वारा 1 घन मीटर से 4 घन मीटर क्षमता तक के बायोगैस संयंत्रों पर निम्नानुसार अनुदान देय है :–

अ. 1 घनमीटर क्षमता के संयंत्रों पर स्वीकृत इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 4000/– प्रति संयंत्र

ब. 2 से 4 घनमीटर क्षमता के संयत्रों पर स्वीकृत इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा रू. 8000/– प्रति संयंत्र

स. शौचालय से जोड़े गये संयत्रों पर रू. 1000/– प्रति संयंत्र के मान से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देय है।

द. बायोगैस संयंत्र से डीजल इंजन चलाने हेतु अधिकतम राशि रू. 5000/– प्रति संयंत्र अनुदान प्लास्टिक रबर बेलून कंटेनर तथा बायोगैस परिवहन हेतु।

टाप अप अनुदान – 1 से 5 घनमीटर क्षमता तक के बायोगैस संयंत्र के निर्माण पर सभी हितग्राहियों को प्रति संयंत्र रू. 2500/– का टाप अप अनुदान राज्य शासन की ओर से देय है।

कृषि सूचना से तकनीकी का प्रचार प्रसार

आधुनिक कृषि अनुसंधान एवं तकनीकी का किसानों तक प्रचार प्रसार करने हेतु विभिन्न माध्यमों व तौर तरीकों की सहायता ली जा रही है। जिसका लाभ संपूर्ण प्रदेश के किसानों को प्राप्त हो रहा है।

1. मुद्रित साहित्य – खरीफ, रबी एवं ग्रीष्म कालीन फसलों के अधिक उत्पादन लेने की पद्धतियों की कृषि कार्यमालाएं, पुस्तिकाएं तथा पोस्टर्स का प्रकाशन एवं वितरण किसानों के हित में किया जाता है।

2. प्रदर्शनियां एवं मेले – राष्ट्रीय स्तर के अलावा राज्य और जिला स्तर की कृषि प्रदर्शनियों व मेलों में विभाग की सहभागिता रहती है। वर्ष 2011 में राज्य स्तरीय वृहद कृषि मेला 'फार्मटेक' का सफल आयोजन निजी संस्था के सहयोग से किया गया। प्रदेश के अंदर जन भागीदारी से राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं सुदूर ग्राम अंचलों में कृषि प्रदर्शनियों तथा पारंपरिक मेलों में भी स्टाल्स लगाये जाते हैं जिनमें कृषि विशेषज्ञों द्वारा किसानों की समस्याओं का समाधान और तकनीकों का सजीव प्रदर्शन किया जाता है।

3. इलेक्ट्रानिक माध्यम – विभाग द्वारा आधुनिक संचार तकनीकी का प्रयोग कृषि प्रसार हेतु किया जा रहा है। आकाशवाणी के सभी 14 केंद्रों से फोन इन कार्यक्रम ''हेलो ग्राम सभा'' का प्रसारण प्रति शुक्रवार को सायं 7.20 से 8.00 बजे तक किया जाता है। इस कार्यक्रम में किसानों द्वारा दूरभाष के माध्यम से स्टूडियो में बैठे वैज्ञानिक एवं कृषि विशेषज्ञों से प्रश्न किये जाते हैं जिनका त्वरित समाधान उनके द्वारा किया जाता है।

4. विभागीय झांकियां – राजधानी एवं जिलों में प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभागीय उपलब्धियों की झांकियॉ प्रदर्शित की जाती हैं।

5. साप्ताहिक कृषि सलाह – मौसम के अनुकूल साप्ताहिक कृषि सलाह एवं सूचनाएं मौसम विभाग तथा जन संपर्क के माध्यम से किसानों तक पहुंचाई जाती हैं।

प्रशिक्षण संस्थान एवं केंद्र

राज्य स्तर पर भोपाल के निकट बरखेड़ी कला में एक आधुनिक सुविधायुक्त प्रशिक्षण संस्थान 'राज्य स्तरीय कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान' संचालित है। किसानों के साथ–साथ मैदानी अमले को भी नई तकनीकों से अवगत कराने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश में 19 कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केंद्र संचालित किये जा रहे हैं। इन केंद्रों पर किसानों के अलावा कृषि विस्तार अधिकारियों एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रशिक्षण केद्रों पर अवासीय प्रशिक्षण की सुविधा भी है। 5 प्रशिक्षण केंद्रों का उन्नयन करने के लिये विशेष प्रयास किये गये हैं। प्रशिक्षण केन्द्र निम्नानुसार है–

ओबेदुल्लागंज जिला रायसेन, पवारखेड़ा जिला होशंगाबाद, बैतूल बाजार जिला बैतूल, इंदौर, सत्राठी जिला खरगौन, उज्जैन, जावरा जिला रतलाम, उज्जैन, सागर, नौगावं जिला छतरपुर, जबलपुर, वारासिवनी जिला बालाघाट, नरसिंहपुर, आंतरी जिला ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, श्योपुरकला, कुठलिया जिला रीवा, सिंगरौली, डिंडौरी।

गुण नियंत्रण तथा परीक्षण प्रयोगशालाएं

किसानों को गुणवत्ता पूर्ण आदान सामग्री उपलब्ध कराने के लिये उर्वरक, बीज तथा कीटनाशक रसायन गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं संचालित हैं। विभागीय कृषि अधिकारियों द्वारा संकलित किये गये नमूनों का परीक्षण कर आदानों की गुणवत्ता की परख की जाती है। अमानक पाये गये नमूनों से संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला – भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर।

बीज परीक्षण प्रयोगशाला – ग्वालियर।

कीट गुण नियंत्रण प्रयोगशाला – जबलपुर।

बैलगाड़ी अनुदान

बैलगाड़ी के क्रय पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कृषकों को 4 हैक्टर जोत तक के अनुदान की पात्रता निम्नानुसार होगी :–

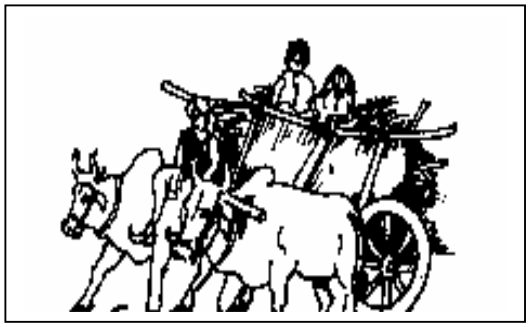

- बैलगाड़ी के क्रय हेतु कीमत का 75 प्रतिशत या अधिकतम राशि रू. 10,000/– प्रति बैलगाड़ी जो भी कम हो देय होगी।
- बैलगाड़ी पर अनुदान केवल उन्हीं कृषकों को देय होगा जिनके पास पूर्व से बैलजोड़ी उपलब्ध हो किन्तु बैलगाड़ी नहीं हो। उन्हें आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अथवा जिन्हें पशुपालन विभाग से बैल जोड़ी प्रदाय की गई हो वे किसान योजना के पात्र होंगे।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि विस्तार सेवाएं

1. **कृषि नेट परियोजना –**

प्रदेश में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत कृषि सूचना तन्त्र प्रणाली, कृषिनेट (एग्रिसनेट) परियोजना प्रदेश में क्रियान्वित है।

कृषि नेट – कृषकों के लिये प्रमुख सेवाएं

- विभिन्न फसलों की उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी।
- फसल प्रबंधन तकनीकों एवं भूमि एवं जल प्रबंधन तथा संवर्धन ।
- फसलों में कीट–व्याधि की पहचान, प्रकोप एवं उनका सामयिक उपचार।
- कार्यक्रमों एवं कृषि गतिविधियों की जानकारी।

सेवा प्रदाय केन्द्र

- जिला से लेकर विकासखण्ड स्तर तक विभागीय किसान सूचना केंद्र।
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित किये गये नागरिक सेवा केन्द्र।
- कृषि उपज मण्डियों के ई–कियोस्क ।
- जिले के समस्त निजी सूचना केन्द्र/इन्टरनेट कैफे/कम्प्यूटर केन्द्र

कैसे उपयोग करें

"www.mp.krishi.org" पर जाकर आवश्यक जानकारी हेतु, संबंधित लिंक क्लिक करें।

2. **कृषि में सूचना प्रोद्यौगिकी योजना** – राज्य पोषित इस योजनान्तर्गत कृषि सूचना केंद्र का संचालन हेतु दो दिन के कृषक प्रशिक्षण का आयोजन विभागीय कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण केंद्रों पर किया जाता है। इसका उद्देश्य किसान भाइयों को वर्तमान में उपलब्ध सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से नवीन कृषि तकनीकी तक पहुंच बनाने हेतु क्षमता का विकास करना है।

3. राज्य कृषि विकास योजना अंतर्गत प्रोजेक्ट्स –योजना के माध्यम से ु प्रदेश में प्रादेशिक किसान काल सेंटर की स्थापना, सामुदायिक रेडियो स्टेशन का प्रारंभ एवं राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल में आई.टी. लेब की स्थापना प्रमुख रूप से की गई है।

4. **कृषि में राष्ट्रीय ई–गवर्नेन्स योजना –** चयनित 12 सेवाओं का प्रदाय पोर्टल के माध्यम से कृषकों को किया जाना है। किसान भाई इस योजनान्तर्गत बीज, खाद एवं दवा की उपलब्धता, मौसम पूर्वानुमान, मंडी भाव, कृषि योजनाएं, एकीकृत फसल प्रबंधन, गुण नियंत्रण, सिंचाई, जैविक खेती, प्राकृतिक आपदाएं, फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य, उद्यानिकी, मछली पालन एवं पशु पालन आदि से संबंधित जानकारी पोर्टल पर एवं एस.एम.एस. के माध्यम से प्राप्त कर सकेगें, साथ ही विभिन्न योजनाओं में आवेदन के निराकरण की स्थिति तथा समस्या समाधान भी प्राप्त कर सकेगें।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वर्ष 2012–13 में निम्नानुसार प्रोजेक्ट स्वीकृत हैं :–

1 **डीजल/विद्युत पंप वितरण –** सभी श्रेणी के कृषकों को 5 से 10 हार्स पावर के डीजल/विद्युत पंप हेतु लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत या रूपये 10,000/– जो भी कम हो, अनुदान का प्रावधान है। यह प्रोजेक्ट पूरे प्रदेश में क्रियान्वित है।

2 **नलकूप खनन पर अनुदान** – सामान्य श्रेणी के समस्त कृषकों को नलकूप खनन हेतु लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत या रूपये 25,000/–, जो भी कम हो, अनुदान है। सफल नलकूपों पर पंप स्थापित करने हेतु रूपये 15,000/– या लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

3 **कूप खनन पर अनुदान –** सभी श्रेणी के 1 से 5 हैक्टयर असिंचित जोत सीमा के कृषकों को लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत या रूपये 80,000/– जो भी कम हो, अनुदान का प्रावधान है। यह प्रोजेक्ट बुन्देलखंड क्षेत्र के जिलों में क्रियान्वित है।

बीज पर अनुदान

- **प्रजनक बीज क्रय अनुदान**–सभी फसलों के प्रजनक बीज क्रय पर भारत शासन द्वारा निर्धारित दरों पर शत–प्रतिशत अनुदान देय है।

- **बीज उत्पादन पर अनुदान–**सोयाबीन के आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन पर सामान्य श्रेणी के कृषकों को रू. 700 प्रति क्विंटल तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के लिये कृषकों के लिये रूपये 900/– प्रति क्विंटल अनुदान देय है।

- **प्रमाणित बीज वितरण अनुदान –** 10 वर्षों के अंदर की किस्मों के लिये रू. 500 प्रति क्विंटल एवं 10 वर्षों से ऊपर की किस्मों के लिये रू. 200 प्रति क्विंटल मोटा अनाज फसलों का बीज वितरण अनुदान के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

4 **प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम (माइनर मिलेट) –** कोदो, कुटकी, रागी एवं सावा के प्रजनक बीज क्रय पर अनुदान देय है। कोदो, कुटकी, रागी एवं सावा के आधार एवं प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम पर रूपये 500/– प्रति क्विंटल एवं प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत 10 वर्ष के अंदर की किस्मों हेतु रूपये 1000/– प्रति क्विंटल एवं 10 वर्ष से अधिक की किस्मों हेतु रूपये 500/– प्रति क्विंटल बीज वितरण अनुदान के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।

5 **अनुदान पर स्प्रिंकलर पाईप लाइन एंव ड्रिप का वितरण –** इस वर्ष स्वीकृत कराये गये प्रोजेक्ट में कृषकों को स्प्रिंकलर हेतु लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 7500/– प्रति स्प्रिंकलर सेट पाइप लाइन हेतु लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 15000/– प्रति तथा ड्रिप सिस्टम हेतु लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 25000/– प्रति सिस्टम अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त राज्य योजना से 30 प्रतिशत टाप अप अनुदान दिया जाता है।

6 **न्यूट्रियेन्ट मैनेजमेंट –** कृषकों की भूमि के स्वास्थ संवर्धन हेतु राइजोबियम कल्चर, एजेटोबैक्टर एवं पीएसबी कल्चर क्रय करने हेतु लागत का 50 प्रतिशत या रूपये 100/– प्रति हैक्टर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है इसी प्रकार जिंक सल्फेट के लिये लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 500/– प्रति हैक्टर अनुदान दिया जाता है।

7 **बीज उपचार –** इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कृषकों को बीज उपचार के लिये लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 100/– प्रति हैक्टर के मान से बीज उपचार हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है।

विशेष कार्यक्रम –

- **धान –** धान के क्षेत्र में उत्पादन वृद्वि हेतु एस.आर.आई. पद्धति की कम्पोजिट नर्सरी तैयार करने हेतु 1/10 हैक्टर से 1 हैक्टर क्षेत्र में नर्सरी लगाने के लिये शत प्रतिशत अनुदान देय। एक हैक्टर नर्सरी धान लगाने हेतु 60 हैक्टर में रोपा के लिये पर्याप्त होगी। कृषकों को रोपा निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

- **संकर मक्का –** अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कृषकों का संकर मक्का के उत्पादन में वृद्धि हेतु 90 प्रतिशत अनुदान पर संकर मक्का बीज का वितरण। (आर. के.व्ही.वाई योजना से 50 प्रतिशत तथा 40 प्रतिशत अन्नपूर्णा योजना से अनुदान दिया जावेगा।)

सामुदायिक रेडियो केन्द्र

सिरौंज (विदिशा) उप नगर में विभाग की ओर से स्थापित सामुदायिक रेडियो केन्द्र से किसानों को खेती–बाड़ी के संबंध में प्रतिदिन नवीनतम जानकारी उनकी अपनी बोली में प्रदान की जाती है। प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को रोचक बनाने के लिये लोक गीत और स्थानीय समाचार आदि भी प्रसारित किये जाते है। यह केन्द्र निजी संस्था 'आईसेप' की भागीदारी से संचालित किया जा रहा है।